

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पत्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी मूल्यना
संवर्ग— मानचित्रक
पदनाम —वैरिष्ट मानचित्रक
वर्ष-2022-23

क्रमसं	पत्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/नहीं)	प्रत्यावेदन स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री राकेश चन्द्र चमोली	अपर कृषि निदेशक, गाड़वाल मण्डल, पौड़ी हाँ				


दुर्गम से सुगम श्रेत्र में स्थानान्तरण होते पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग— मानचित्रक

पदनाम –वरिष्ठ मानचित्रक

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	बाहित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राप्तिशान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐस्थिक श्रेत्र में स्थानान्तरण होते हुए अनुरोध कर सकते हैं।	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री राकेश चन्द्र चमोली अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी	20.05.2022	20.05.2022	गरिष्ठ कार्मिक होने के कारण तैनाती स्थल पर ही रहने हेतु आवेदन किया गया है ।	वरिष्ठ कार्मिक	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राप्तिशान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐस्थिक श्रेत्र में स्थानान्तरण होते हुए अनुरोध कर सकते हैं।		




अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से उर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी मूल्यांकन


संबंध— मानविक

पदनाम –वरिष्ठ मानविक

वर्ष-2022-23

८)

फॉर्म सं.	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रथावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/नहीं)	प्रथावेदन (स्वीकृत/आसीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री हीरा सिंह विष्ट	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी	हाँ			



८)

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग— मानचित्रक
पदनाम —वरिष्ठ मानचित्रक

वर्ष-2022-23

क्रमांक	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	बांधित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधित	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री हीरा सिंह विट	संयुक्त कृषि निवेशक, कुमायू मण्डल, हल्द्वानी	21.05.22	30.05.22	दुर्गम में 14 वर्ष 01 माह 15 दिन की उमेर कर चुके हैं। धारा 7-घ-टो के अन्तर्गत स्थानान्तरण में छूट का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा 7(घ) 2 के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक दुर्गम की पूर्ण करने पर दुर्गम स्थानान्तरण से छूट के पात्र हैं।	सुसंगत धारा में प्राविधित

✓ ✓ ✓

86

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग— मानचित्रक

पदनाम —वरिष्ठ मानचित्रक

वर्ष—2022–23

क्रमसं	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री अशोक कुमार कोटियाल	कृषि निवेशालय, उत्तराखण्ड	अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चक्रवाती के अधीन रिक्त पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	

22 ✓

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग— मानचित्रक

पदनाम —मानचित्रक

वर्ष—2022–23

क्रमसंख्या	पात्र कार्मिक का नाम	यत्मान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/ अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	कुमार लवी गौतम	कृष्णगढ़, उत्तराखण्ड	हाँ	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चाला 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी		

(Signature)

सुगम से उगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पत्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग— मानविक्रक

पदनाम —मानविक्रक

वर्ष—2022–23

क्रमांक	पत्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रेषण तिथि प्राप्ति तिथि	प्रत्यावेदन का विवरण	चाहित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राप्तिकान	समिति का निर्णय
1.	कुमु लक्ष्मी गोतम	कृष्णपुरम-30, हरिद्वार	24.05.2022 25.04.2022	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति देहरादून में कार्यस्थ है। धारा 13 (3) के अनुसार के अन्तर्गत छूट चाही गयी है। पति के सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	पति-पत्नी	धारा-13-3 सरकार के सेवा में कार्यस्थ पति-पत्नी एक ही ऐस्थिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यस्थ पति-पत्नी एक ही ऐस्थिक स्थान पर रहने का अनुरोध

✓ ✓